



निम्न मध्यवर्गीय नारी की दयनीय स्थिति का मर्म-सेवासदन

Meenakshi Sharma

प्रेमचंद यथार्थवादी रचनाकार माने जाते हैं। उस समय नारी की दयनीय स्थिति से वह भलि-भांति परिचित थे। उर्दू में लिखा गया उपन्यास 'बाज़ारे-हुस्न' का हिंदी अनुवाद 'सेवासदन' नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 'सेवासदन' उपन्यास में प्रेमचंद ने नायिका 'सुमन' द्वारा उस यथार्थ को प्रकट करने की चेष्टा की है जो नारी को पराधीनता की बेड़ियों में बंधने को विवश करता है। विषम परिस्थितियों से ग्रस्त नारी न जाने किस प्रकार का नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाती है। विषम परिस्थितियां आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं जैसे— दहेज—प्रथा, अनमेल—विवाह, वेश्या—वृत्ति आदि। मध्यवर्ग के परिवारों को इन गंभीर परिस्थितियों अथवा परिणामों से जूझना पड़ता है। प्रेमचंद स्वयं निम्न मध्यवर्गीय परिवार से थे। ऐसी परिस्थितियों को उन्होंने स्वयं बड़े करीब से महसूस किया था 'सुमन' भी मध्यवर्गीय परिवार की सुन्दर, सुशिक्षित लड़की है जिसे आर्थिक तंगी के चलते अनेक भयंकर हालात का सामना करना पड़ता है।



सारी उम्र ईमानदारी की राह पर चलकर मध्यवर्गीय आदमी चाहे वह दारोगा हो, डॉक्टर हो, इंजिनियर आदि किसी भी अच्छे ओहदे पर हो, इतनी धन राशि दहेज के लिए नहीं जुटा पाता जिसके चलते उनकी बेटियों को अनूकूल वर मिल पाना असम्भव होता है। भ्रष्ट समाज के चलते ईमानदारी की सजा कहीं न कहीं भूतनी पड़ती है। जिस प्रकार दारोगा कृष्णचन्द्र अपनी ईमानदारी पर पछता रहे हैं।

“पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं, दारोगा कृष्णचन्द्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे हैं।”¹

आजकल पढ़े-लिखे लड़कों की बोलियां स्वयं उनके माँ—बाप लगाते हैं। कृष्णचन्द्र को भी यह भ्रम था कि हर सज्जन पुरुष, सुन्दर, गुणी कन्या को महत्व देता है किन्तु उनका यह भ्रम टूट जाता है जब उच्च शिक्षित परिवार के व्यक्ति उनसे कहते हैं—

“महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ लेकिन करूँ क्या, अभी पीछले साल लड़की का विवाह किया, दो हज़ार रुपये केवल दहेज में देने पड़े, दो हज़ार खाने—पीने पर खर्च करने पड़े आप ही कहिए यह कैसे पूरी हो।”²

दूसरे सज्जन इसी बात को अलग अंदाज में कहते हैं—

“दारोगा जी मैंने लड़के को पढ़ाया है, सहसों रुपए उसकी पढ़ाई पर खर्च किये हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए यह सारा भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ।”³

¹ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 3

² प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 6

इसी कारण मजबूरी के चलते मध्यवर्गीय आदमी रिश्वत लेने को विवश होता है जिससे वह बेटी की शादी के लिए दहेज तथा अच्छा सुशिक्षित परिवार जुटा सके। धन—दहेज के अभाव के कारण सुन्दर, शिक्षित लड़की का अनमेल विवाह कराने के लिए माता—पिता को विवश होना पड़ता है अथवा अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसे ब्याह दिया जाता है। पति द्वारा प्रताड़ित नारी किस प्रकार वेश्या बनने पर विवश हो जाती है। धन के अभाव तथा मान—सम्मान न मिलने के कारण वह संतुष्ट नहीं रहती। ‘सुमन’ के माध्यम से नारी की स्वाधीनता तथा स्वावलंबन को अधिक महत्व दिया गया है। संकीर्ण विचारों वाले पति द्वारा घर से निकाले जाने पर वह उससे माफी नहीं मांगती, न ही गिडगिडाती है, वह स्वाधीन नारी की भाँति उसे कहती है—

“यों कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम्ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजदूरी करूँगी पेट पाल लूँगी।”⁴

यह ज़रूरी नहीं कि हर नारी धन के अभाव के कारण या सुख—सम्पत्ति पाने के लिए वेश्या — वृति का मार्ग अपनाये। वेश्या—वृति कि और अग्रसर करने वाले बहुत से लोग भी होते हैं। जैसे सुमन की पड़ोसन भोली—बाई। भोली—बाई के घर रईस, महाजन, महंत, मौलवी, पण्डित आदि आते हैं तथा उसे मान सम्मान के साथ घर बुलाते हैं। यह देख सुमन सोचने लगती है—

“भोली के सामने केवल धन ही नहीं सिर झुकाता, धर्म भी उसका कृपाकांक्षी है।”⁵

सुन्दर, सुशिक्षित होते हुए भी अपनी मर्यादा में रहते हुए जब नारी को मान—सम्मान न मिले तथा हर तरफ से ठुकराये जाने पर ऐसा दृश्य देखकर वह स्वयं अपना मूल्यांकन भोली—बाई जैसी स्त्रीयों से करने को विवश हो जाती है। तब वह इस परिणाम पर पहुँचती है—

“वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। उसकी दुकान खुली है इसलिए ग्राहकों की भीड़ है, मेरी दुकान बंद है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करती। मैं लोक—निंदा से डरती हूँ। वह परदे के बाहर है, मैं परदे के अंदर हूँ। उपहास के भय ने मुझे दूसरों की चेरी बना रखा है।”⁶

समाज के तानों के डर से हर तरफ से निष्कासित कर देने पर तब यह मार्ग दिखता है। जहाँ जाना तो आसान है पर वापसी उससे भी ज्यादा मुश्किल। थोड़ी देरी से घर आने पर अपने रिश्तेदार तानों का बाण चलाते हैं, तो वेश्यालय में साफ—सुथरा जीवन भी बीताया हो तब भी कोई विश्वास नहीं करता। जिस प्रकार सुमन हर तरफ से ठुकराये जाने पर भोली—बाई की शरण में जाती है।

“मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूँ पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे कुऐं में कूदना पड़ा। सुख न सही, यहाँ आदर तो है। मैं किसी की गुलाम तो नहीं हूँ।”⁷

वेश्या — जीवन से पैदा होने वाले परिणाम कठोर होते हैं। इस दिशा से यदि कोई नारी बाहर आना चाहे तो उसके अपने लोग ही उसे जीने नहीं देते। वेश्या—जीवन के कारण उसे तथा उसके अपने परिवार के लोगों को भी अनेक यातनाएँ भूगतनी पड़ती हैं। पाखण्ड तथा आडम्बर करने वाले पुरुषों को बेनकाब करना ज़रूरी है जैसे सुमन ने सदन सिंह का किया। वेश्या के रूप में जान न्यौछावर करना तथा सुमन की बहन शांता से विवाह के लिए इन्कार करना। इस पर सुमन दृढ़ स्वर में करारा जवाब देते हुए कहती है—

“अंधेरे में जूठा खाने को तैयार पर उजाले में निर्मंत्रण भी स्वीकार नहीं।”⁸

सेवासदन की मूल लड़ाई पराधीनता के कारणों से मुक्ति पाना है। बहुत सी नारीयां ऐसे मार्ग को त्याग कर नयी शुरुआत करना चाहती हैं। उनके लिए शहर से थोड़ी दूर सरकार द्वारा सेवासदन का निर्माण किया जाता है जहाँ वह किसी के अधीन न होकर एक नयी पहचान बना सके। सुमन भी अपने आंतरिक मन के भावों को बिट्ठलदास नामक समाज—सुधारक के सामने प्रस्तुत करती है—

³ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 6

⁴ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 48

⁵ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 29

⁶ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 46

⁷ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 92

⁸ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 280

“आप सोचते होंगे कि भोग—विलास की लालसा से कुमार्ग में आयी हूँ पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने निकृष्ट कर्म किया है लेकिन मैं विवश थी इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं उच्च कुल की लड़की हूँ पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख से हुआ। लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान न सहा जाता था। जिसका निरादर होना चाहिए उसका आदर देखकर मेरे मन में कुवासनाएँ उठने लगती थी।”⁹

नारी हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। आर्थिक तंगी में भी वह संतुष्ट एवं खुश रह सकती है यदि उसे अपने पति द्वारा मान—सम्मान, प्रेम तथा विश्वास मिलें। जब तक पुरुष को यह बात समझ आती है तब तक स्थिति का रंग रूप कुछ और होता है। रुढ़िवादी सोच तथा विवाहिक परम्पराओं को बदलने की आवश्यकता है।

⁹ प्रेमचंद, सेवासदन, पृ. 91